

H. 11020/1/2016-प्रशा.

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग

नई दिल्ली, दिनांक: 03.12.2018

कार्यालय आदेश सं. 1166/2018

राज्य सभा के 247 सत्र और सोलहवीं लोक सभा के सोलहवां सत्र, 2018 के दौरान मंत्रालय के निम्नलिखित बहु उद्देशीय कर्मचारियों की रोस्टर के अनुसार उनके सामने दिखाई तारीख से (03 दिनों के लिए) मंत्रालय के संसद एकक में इयूटी लगाई जा रही है:-

क्र. सं.	प्रत्येक कर्मचारियों की संसद एकक में लगाई गई इयूटी की तारीख	बहु उद्देशीय कर्मचारियों का नाम सर्वश्री	प्रत्येक इयूटी की अवधि
	12.12.2018 (सायं 03.00 बजे के बाद) 15.12.2018 16.12.2018	वरुण मित्तल, एम.आई विंग नरेश कुमार, सी.आर अनुभाग राजु, अवर सचिव(समनवय)	03 दिन
	19.12.2018 (सायं 03.00 बजे के बाद) 22.12.2018 23.12.2018	अर्जुन सिंह, सीआर अनुभाग विकास कुमार -1, एनडब्ल्यूएम राम जन्म गुप्ता, बजट अनुभाग	03 दिन
	26.12.2018 (सायं 03.00 बजे के बाद) 29.12.2018 30.12.2018	रामखलन मीना, सीआर नितिन शर्मा, प्रशासन अनुभाग अमित कुमार, जनरल प्रशासन अनुभाग	03 दिन
	02.01.2019 सायं 03.00 बजे के बाद) 05.01.2019 06.01.2019	विकास कुमार -2, एसजेसी (एसपीआर) सोनू कुमार, अवर सचिव (ई .II) राजेंद्र शर्मा, (पेन रिवा।)	03 दिन

2. उपरोक्त सभी कर्मचारियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे कार्यालय अवधि के दौरान अपनी संसद एकक की इयूटी से पहले बुधवार को सायं 3.00 बजे संसद एकक में अनुभाग अधिकारी (संसद एकक) को रिपोर्ट करेंगे। अगर किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश कोई कर्मचारी इयूटी देने में असमर्थ रहता है तो वह मंत्रालय के किसी अन्य इच्छुक कर्मचारी का नाम अपने एवजी के रूप में प्रस्तुत करके व अनुभाग अधिकारी (संसद एकक) के अनुमोदन के बाद ही अपनी इयूटी से अनुपस्थित रह सकते हैं, अन्यथा नियमों के अंतर्गत उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3. उपरोक्त इयूटी के लिए अलग से निर्धारित दर पर मानदेय दिया जायेगा।

अशोक कौशिक
(ए.के. कौशिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं.- 23738126

प्रति:

1. रोकड़ अनुभाग, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय।
2. संबंधित कर्मचारियों के अधिकारी/अनुभाग अधिकारी (संसद एकक) ।
3. संबंधित कर्मचारी/बैयक्तिक मिसिल।